संख्या 22/2015/1375/ सत्रह-म- 2015- 11-1- अ (4)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 18 सितम्बर 2015

विषय अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक -2405 मछली पालन –आयोजनेत्तर- 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 42 /ले0शा0/ बजट / 2015-16 दिनांक 25- 08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 मे 19 जनपदों में कार्यरत कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में प्राविधानि धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 459.407 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 11/2015/691/सत्रह-म-2015–11-1-अ(4)/2006 दिनांक 01 जून, 2015 द्वारा निर्गत की गयी है । शासनादेश संख्या-1309/ सत्रह-म- 2015 6-5(12)/2015 टी0सी0 दिनाकं 11-08-2015 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ दिये गये स्थगनादेशों से आच्छादित कार्मिकों को वेतन का लाभ(एरियर)दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अत: वर्ष् 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 40.593 में से 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के कारण वेतन एवं एरियर का लाभ दिये जाने हेतु धनराशि रू0 33.57 लाख की (रू0 तैतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

क्र0सं0	मत्स्य पालक विकास अभिकरण/ जनपद	31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)
		स्वीकृत धनराशि(रू0 हजार में)
1	मत्स्य पालक विकास अभिकरण बाराबंकी	1253
2	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सुल्तानपुर	680
3	मत्स्य पालक विकास अभिकरण गोण्डा	360
4	मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ	1064
	योग	3357

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

1. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों / शर्तो तथा गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।

2. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगर्त राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय - समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक -2405 मछली- पालन –आयोजनेत्तर की योजना –190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता —01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सहायता (के.75/रा.25, के0+रा0) की मानक मद 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 22/2015(1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com